ग्राम पंचायत मण्डलगढ़, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग—एक

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मण्डलगढ़, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कायरत्त थेः—

(i) प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री जीत राम	1.4.14 से 21.1.16
2	श्रीमती सरिता भानू	23.1.16 से लगातार
(ii) सचिव		
1	श्री अविनाश	1.4.14 से 30.11.16
2	श्री सुन्दर लाल	01.12.16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत मण्डलगढ़, विकास खण्ड नग्गर के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना व बैंक खातों से मिलान न करना	—
2	7	गृहकर राजस्व की वसूली शेष	0.67
3	7.1	मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क की वसूली शेष	0.23

4	8	अनुदान का उपयोग न करना	63.11
5	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय	10.36

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत मण्डलगढ़, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी तथा श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.12.2017 से 26.12.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 5/14, 09/15 तथा 3/17 व 8/14, 1/16 व 3/17 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत मण्डलगढ़, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-170 दिनांक 26.12.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मण्डलगढ से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत मण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण बैंक खातों के अनुसार निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 (क)** में दिया गया है।

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	540228	1486649	31229	2058106	1204736	853370
2015–16	853370	3887159	33707	4774236	3605804	1168432
2016–17	1168432	8861753	56177	10086362	3681223	6405139

(ii) मनरेगाः– परिशिष्ट–1 (ख)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	शून्य	71000	614	71614	71614	शून्य
2015–16	–	–	–	–	–	–
2016–17	–	–	–	–	–	–

4.1 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरणः–

ग्राम पंचायत मण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रोकड़ बहियों के अनुसार व उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत मण्डलगढ़ के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–2** में दिया गया है।

4.2 रोकड़ बहियो का रख रखाव नियमानुसार न करना व बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत मण्डलगढ़, विकास खण्ड नग्गर की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 व 10 (1) के अनुसार नहीं किया गया है। नियम 7 व 10 (1) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक माह के अन्त में बैंक खातों में जमा राशियों का विवरण रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित था तथा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः रोकड़ बहियों में प्रत्येक माह अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करना तथा बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का रख रखाव नियम 7 व 10 (1) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों में जमा राशियों से मिलान करके अनुपालना से इस को अवगत करवाया जाए।

4.3 विभिन्न अनुदानों के लिए एक बैंक खाते का रख रखावः–

ग्राम पंचायत मण्डलगढ़ के लेखों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के लिए एक बैंक खाता संख्या 20077008354 का ही रख रखाव किया गया है जबकि पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)-13(1)5-47005-89 दिनांक 15.2.12 के अनुसार प्रत्येक योजना/अनुदान के लिए अलग–2 बैंक खाते का रख रखाव किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में उक्त पत्र के अनुसार प्रत्येक अनुदान का पृथक–2 बैंक खाते का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए।

5 प्राप्त आय को बैंक में जमा न करवाकर व्यय का नकद भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (2) के अनुसार पंचायत की समस्त आय को बैंक में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत मण्डलगढ़ की रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 94 दिनांक 24.3.17 की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्राप्त कुल आय ₹5000 को बैंक में जमा न करवाकर निम्न विवरणानुसार व्ययों का भुगतान प्राप्त आय से नकद किया गया जोकि उक्त नियमानुसार अनियमित व आपत्तिजनक है।

Sr.No.	Grant	Bill No.	Firm	Amt.
1	Nidhi	1112664770/16.3.17	H.P.S.E.B.	1465
2	Nidhi	924/20.3.17	M/S Chandel Printing Press Kullu	1000
3	Nidhi	912/21.3.17	M/S Pustak Bhandaar Kullu	1500
4	Nidhi	1023365940015/4.3.17	BSNL	1271

अतः किए गए उक्त व्ययों के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाने के पश्चात ही व्ययों का भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में बनाया गया था। अतः बजट प्राक्कलन

नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 गृहकर राजस्व ₹0.67 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.17 तक गृहकर ₹67302 **(परिशिष्ट–3)** की वसूली शेष थी। अतः गृहकर राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए। गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को दिनांक 31.3.17 तक पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	वसूली	वसूली हेतु शेष
2014–15	23592	16475	40067	150	39917
2015–16	39917	16475	56392	5565	50827
2016–17	50827	16475	67302	–	67302

7.1 मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क ₹0.23 लाख वसूली हेतु शेषः–

सचिव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज पत्र संख्या पी0सी0एच0/एच0ए0/8/99 दिनांक 9.11.06 द्वारा जारी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर कम्पनी से ₹4000 स्थापना शुल्क व ₹2000 प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क प्राप्त कर सकती है तथा हर 5 वर्ष बाद नवीनीकरण शुल्क में 25% बढ़ौतरी की जायेगी। ग्राम पंचायत मण्डलगढ़ के स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा मोबाईल टावर मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था जबकि पंचायत क्षेत्र में 3 मोबाईल टावर स्थापित है। दिनांक 1.4.14 को मोबाईल टावर की नवीनीकरण शुल्क की कितनी राशि वसूली हेतु शेंष है, की कोई भी सूचना/अभिलेख पंचायत में उपलब्ध नहीं थी। अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.17 में निम्नविवरणानुसार कुल मांग ₹22500 में से कोई भी राशि पंचायत द्वारा वसूल नहीं की गई थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त मोबाईल टावरों की स्थापना से मोबाईल टावर मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव सुनिश्चित किया जाए तथा दिनांक 31.3.17 तक कुल वसूली हेतु शेष राशि की गणना करके वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	वसूली	वसूली हेतु शेष
2014–15	N.A.	7500	7500	–	7500
2015–16	7500	7500	15000	–	15000
2016–17	15000	7500	22500	–	22500

No. og Tower 3

8 अनुदान राशि ₹63.11 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–4** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹6310552 (₹2138954+₹4171598) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	Cheque issue/Receipt Register
2	T.A. Check Register
3	Bill Register
4	Stationery Register
5	Work Register
6	Mobile Tower fee Collection Register

10 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न करवानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत में दिए गए निम्न विवरणानुसार कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः निम्न निर्माण कार्यों के प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	कार्य का नाम	व्यय माह	माह में व्यय राशि	स्वीकृत राशि (₹)
1	SDP	खाता नि0 सराय काली ओडी शिम	08/14	94950	100000
2	IWMP-III	खाता नि0 क्रेटबाल रूप चन्द S/O श्री लुदर चन्द के खेत के पास	8/14	217920	300000
3	D.P.O.	खाता नि0 पंचायत दुकानें बनाना	1/16	358950	600000
4	13^{th} FC	खाता नि0 गौशाला डोभी बिधल	1/16	310780	800000

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹10.36 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रयः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट—5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1035664 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही कियाग या जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येंक वस्तु को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–6** में दिए विवरणानुसार क्रय सामानों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः दिए गए विवरणानुसार क्रय सामानों को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय वस्तु का नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

13 मनरेगा के अन्तर्गत करवाये गए कार्य के मस्ट्रोल को पूर्ण न करनाः–

ग्राम पंचायत मण्डलगढ़ में मनरेगा के अन्तर्गत करवाये गये कार्य हेतु जारी मस्ट्रोलों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोलों में आवदेकों को भुगतान करने से पहले प्रत्येक मस्ट्रोल में आवेदकों के हस्ताक्षर लेना अपेक्षित था परन्तु पंचायत द्वारा आवेदकों के हस्ताक्षर मस्ट्रोल में नहीं लिए गए। मस्ट्रोल को पूर्ण किए बिना किया गया भुगतान आपत्तिजनक है। अतः मस्ट्रोलों को पूर्ण किए बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मस्ट्रोल को पूर्ण करके तथा सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**मस्ट्रोल सं0**	**अवधि**	**राशि (₹)**
1	4040	17.2.17 से 28.2.17	8500

14 खुले बाजार से सीमेन्ट का क्रय करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा SDP अनुदान के अन्तर्गत (रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 43 दिनांक 27.8.14) वाउचर संख्या 31 द्वारा 30 सीमेंन्ट बैग @₹335 प्रति बैग की दर से M/S New Thakur Bros Manali बिल संख्या 979 दिनांक 2.7.14 द्वारा ₹10050 में क्रय किए गए थे जबकि नियमानुसार सीमेंन्ट का क्रय H.P. State civil Supplies corporation Ltd से किया जाना अपेक्षित था। अतः सीमेन्ट का क्रय H.P.State civil Supplies Corporation Ltd से N.O.C. लिए बिना खुले बाजार से खरीदने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा H.P.State civil Supplies Corporation में सीमेंन्ट की दर व

खुले बाजार से क्रय सीमेंन्ट की दर के अन्तर से हुई आर्थिक हानि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 IWMP-VI के तहत वितरित ₹0.92 लाख के सेब के पौधों का वितरण रजिस्टर उपलब्ध न करवानाः–

IWMP-VI की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 52 दिनांक 10.3.17 में निम्नविवरणानुसार सेब के पौधों का क्रय करके स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 86 में दर्ज करके ग्रामीणों को वितरित किया गया दर्शाया गया था परन्तु कुल क्रय 3672 पौधों वितरण विवरण व लाभार्थियों की प्राप्तकर्ता रसीदें जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की जाए। अतः पौधों का वितरण रजिस्टर सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर तथा लाभार्थियों की प्राप्तकर्ता रसीदें प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	बिल सं0	फर्म का नाम	पौधों की सं.	दर	कुल राशि (₹)
1	11 / 18.2.17	मै0 जितेन्द्र नर्सरी कुल्लू	1722	25	43050
2	109 / 18.2.17	मै0 टिक्कम राम	1950	25	48750
				कुल	**₹91800**

16 सत्यापित उपस्थिति विवरणी के बिना ₹0.12 लाख का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत, मण्डलगढ़ द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹12150 का भुगतान जल रक्षक को मानदेय के रूप में किया गया था परन्तु व्यय वाउचरों में सक्षम अधिकारी से सत्यापित उपस्थिति विवरणी संलग्न नहीं थी। अतः सक्षम अधिकारी से सत्यापित उपस्थिति विवरणी प्राप्त किए बिना किया गया भुगतान अनियमित है। अतः अब सत्यापित उपस्थिति विवरणी प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही पृ0सं0	वा0सं0	नाम	अवधि	राशि (₹)
1	043 / 27.8.14	30	श्री सूरत राम	4 / 14 से 6 / 14	4050
2	094 / 24.3.17	114	श्री सूरत राम	4 / 16 से 6 / 16	4050
3	094 / 24.3.17	115	श्री कृष्ण चन्द	4 / 16 से 6 / 16	4050
				कुल	**₹12150**

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई।

19 निष्कर्षः— पंचायत के लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 27 / 2018—खण्ड—1—2788—2791 दिनाँक 23.04.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर जिला कुल्लू, हि0प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत मण्डलगढ़, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881